प्रारंभिक परीक्षा

वेम्बनाड झील

संदर्भ

जलवायु परिवर्तन तथा बूचड़खानों और झींगा छीलने वाले शेडों से होने वाला प्रदूषण वेम्बनाड झील के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है।

वेम्बनाड झील के बारे में -

- **यह केरल में स्थित है और इसकी सीमा अलपुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों से लगती है।**
- यह **भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है और इसे 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। (पहली सबसे बड़ी आर्द्रभूमि - सुंदरबन)**
- रामसर साइट एक आर्द्रभूमि है जिसे आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व का पारिस्थितिक क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसे 'कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स' के रूप में भी जाना जाता है।
- झील का स्रोत **4 नदियाँ हैं: मीनाचिल, अचंकोविल, पम्पा और मणिमाला।**
- **वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील (96.5 किमी) और केरल की सबसे बड़ी झील है।**
- प्रसिद्ध **नेहरू ट्रॉफी बोट रेस** वेम्बनाड झील में आयोजित की जाती है।
- कुमारकोम पक्षी अभयारण्य झील के पूर्वी तट पर स्थित है।
- **केरल का चावल का कटोरा कुट्टनाड झील के दक्षिणी भाग में स्थित है।**
- **झील के स्थानीय नाम:** वेम्बनाड कायल, वेम्बनाड कोल, पुन्नमदा झील आदि।
- **झील को खतरा:**
    - **प्रदूषण:** झील सीवेज नहरों, नदियों और अपवाह से उत्पन्न सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण से प्रभावित है। इसमें शहरी बस्तियों से निकलने वाले पोषक तत्व और चावल के खेतों से निकलने वाले कीटनाशक अवशेष भी शामिल हैं।
    - **भूमि पुनर्ग्रहण(Land reclamation):** भूमि पुनर्ग्रहण के कारण झील ने अपने मूल क्षेत्रफल का 37% हिस्सा खो दिया है।
    - **नारियल की भूसी की सड़न:** नारियल की भूसी की सड़न से पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है।
    - **पर्यटन:** रिसॉर्ट और आवासीय परिसर अपना कचरा नदी में बहा देते हैं, तथा कई हाउसबोटों में जैव-शौचालय नहीं होते हैं।

तथ्य

- भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील - वुलर झील, जम्मू और कश्मीर
- भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील - चिल्का झील, उड़ीसा
- भारत की सबसे ऊंची झील (ऊंचाई) - चोलमू झील, सिक्किम
- भारत की सबसे लंबी झील - वेम्बनाड झील, केरल
- भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील - गोविंद वल्लभ पंत सागर (रिहंद बांध)

स्रोत:

- **The Hindu - Troubled Waters**

आर्टेसियन वेल(Artesian Well)

संदर्भ

हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर के तारानगर गांव में एक अनोखी घटना देखने को मिली, जब जमीन के नीचे से बड़ी मात्रा में पानी निकला। एक वरिष्ठ जल-भूविज्ञानी ने इसका कारण **आर्टेसियन स्थिति** को बताया।

आर्टेसियन वेल के बारे में -

- **यह एक ऐसा कुआं है जो जलभृत(aquifer) के दबाव के कारण बिना पम्पिंग के भूजल को सतह पर लाता है। (आर्टेसियन एक्वीफर)**
- **आर्टेसियन एक्वीफर से तात्पर्य चट्टान और तलछट की अभेद्य परतों के बीच दबाव में संग्रहीत जल से है।**
- इसमें पानी "सीमित" रहता है तथा नियमित ट्यूबवेल या कुओं के विपरीत, इसे बाहर आने के लिए बाहरी बल की आवश्यकता नहीं होती।
- आर्टेसियन एक्वीफर में भूमिगत जल खराब पारगम्य चट्टानों से घिरा होता है जो उच्च दबाव बनाते हैं। ड्रिलिंग जैसे किसी टूटने से दबाव वाला पानी सतह की ओर ऊपर की ओर बहने लगता है।

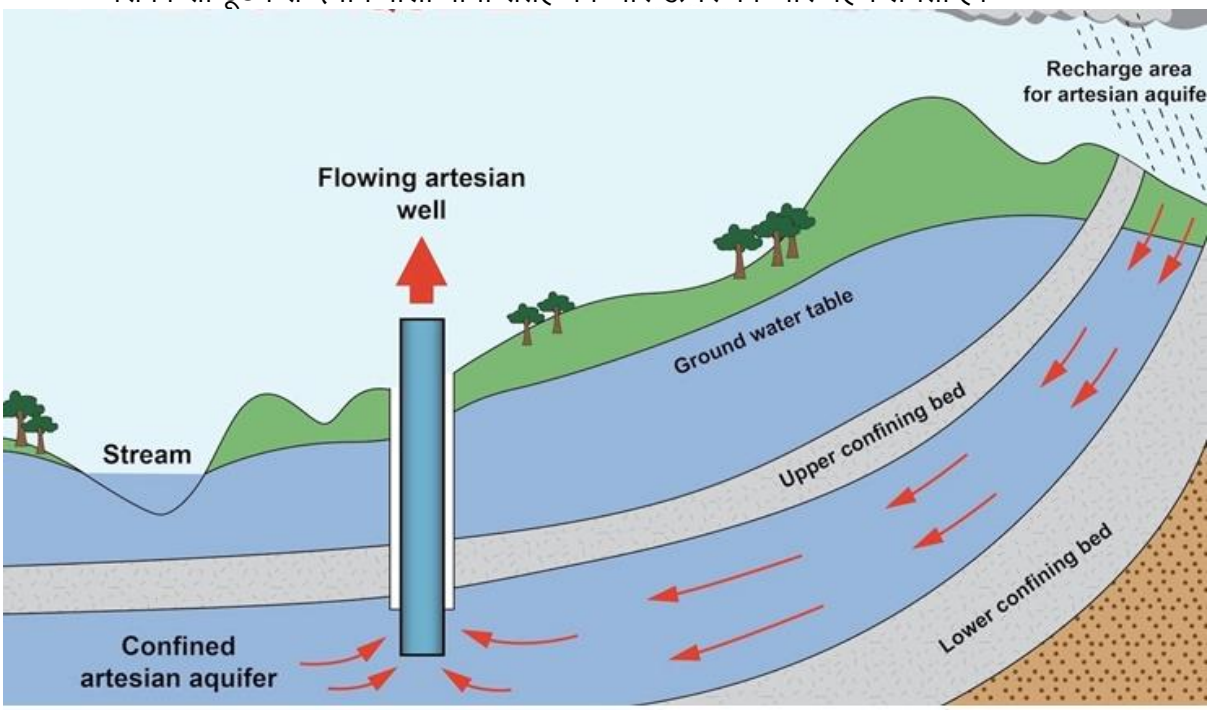

रेगिस्तान में पानी क्यों उत्पन्न हुआ?

- **जैसलमेर में भूवैज्ञानिक संदर्भ:** रेगिस्तान में पानी बलुआ पत्थर की परतों के नीचे जमा होता है। जब ऊपरी परत में छेद होता है, तो भूमिगत दबाव पानी को ऊपर की ओर बहने के लिए मजबूर करता है।
- **वैश्विक उदाहरण:** ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी ऐसी ही घटनाएं दर्ज की गई हैं ।

स्रोत:

- **Indian Express - Artesian Well**

उत्तराखंड के बागेश्वर में खनन कार्य स्थगित

संदर्भ

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पर्यावरण, सामाजिक-आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए बागेश्वर जिले में सभी खनन कार्यों पर रोक लगा दी है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- **यह निर्णय क्षेत्र में सोपस्टोन खनन के संबंध में अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत चौंकाने वाले निष्कर्षों पर आधारित था।**
- खनन गतिविधियों के कारण आवासीय मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।
- यह क्षेत्र ओक, देवदार और सरू के वृक्षों सहित विविध वनस्पतियों और तेंदुए, जंगली सूअर और लोमड़ियों जैसे वन्य जीवों का घर है।

सोपस्टोन के बारे में -

- **यह एक रूपांतरित चट्टान है, जो मुख्य रूप से सेलखड़ी(talc) के साथ-साथ विभिन्न मात्रा में क्लोराइट, पाइरोक्सिन, अभ्रक, कार्बोनेट और अन्य खनिजों से बनी होती है।**
- **गुण:**
    - मुलायम बनावट (उच्च टैल्क सामग्री के कारण नाखून से खरोंचा जा सकता है)।
    - गर्मी प्रतिरोधी और गैर छिद्रपूर्ण।
    - यह टिकाऊ है, निष्क्रिय है और साबुन जैसा अहसास देता है।
- **उपयोग:**
    - **औद्योगिक अनुप्रयोग:** टैल्कम पाउडर, चीनी मिट्टी की चीज़ें, सौंदर्य प्रसाधन और पेंट।
    - **तापीय अनुप्रयोग:** ताप प्रतिरोध के कारण स्टोव, फायरप्लेस और प्रयोगशाला काउंटरटॉप्स में अस्तर।
- **भारत में सोपस्टोन का सबसे बड़ा उत्पादक:** राजस्थान
- **प्रमुख भंडार:** राजस्थान (उदयपुर और भीलवाड़ा), उत्तराखंड (बागेश्वर और अल्मोडा)

स्रोत:

- [Indian Express - landslide risks in Bageshwar]

लोकपाल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत का निपटारा किया

संदर्भ

लोकपाल ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ शिकायत का निपटारा इस आधार पर किया कि यह **"अधिकार क्षेत्र से वर्जित है।"** आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि लोकपाल सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों या CJI की जांच क्यों नहीं कर सकता।

लोकपाल के बारे में -

- **यह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और अन्वेषण करता है।**
- **संघटन:**
    - **अध्यक्ष** (भारत के सेवानिवृत्त/सेवारत मुख्य न्यायाधीश/सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अधिनियम में निर्दिष्ट पात्रता को पूरा करता हो)
    - अधिकतम 8 सदस्य जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे।
    - लोकपाल के कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं होने चाहिए।
    - **कार्यकाल: 5 वर्ष** या **70 वर्ष की आयु तक**, जो भी पहले हो।
- **लोकपाल की नियुक्ति:** राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, **जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं**:
    - **अध्यक्ष:** प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में
    - **सदस्य**: लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष और चयन समिति के सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद्।
- **लोकपाल (संशोधन) अधिनियम 2016:** मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति में, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति का सदस्य बनने की अनुमति देता है।

अधिकार क्षेत्र (लोकपाल अधिनियम की धारा-14 के अंतर्गत)

- प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और समूह A, B, C और D के सरकारी कर्मचारी।
- **न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों पर प्रयोज्यता की जांच:**
    - भ्रष्टाचार निवारण(PC) अधिनियम, 1988 की धारा-2(c) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित सभी न्यायाधीश "लोक सेवक" हैं।
    - हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय "संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित निकाय" नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 द्वारा स्थापित है।
- **धारा-14(1)(f) की व्याख्या:**
    - धारा-14(1)(f) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित/वित्तपोषित संस्थाओं पर लागू होती है।
    - **लोकपाल ने स्पष्ट किया कि:**
        - सर्वोच्च न्यायालय ऐसी संस्था के रूप में योग्य नहीं है।
        - न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण या वित्त पोषण नहीं होता है।

तथ्य

- **सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (2019-2022) भारत के पहले लोकपाल थे। (वर्तमान - एएम खानविलकर)**
- भारत के पहले अटॉर्नी जनरल एम. सी. सीतलवाड (1950-1963) ने सबसे पहले 1962 में अखिल भारतीय वकील सम्मेलन में लोकपाल संस्था का विचार रखा था।
- **लोकपाल किसी मामले का स्वत: संज्ञान लेकर जांच आगे नहीं बढ़ा सकता। यह तभी आगे बढ़ सकता है जब कोई शिकायत दर्ज कराए।**

स्रोत:

- **Indian Express - lokpal dismisses complaint against CJI**

पत्तियाँ अंतरिक्ष में फड़फड़ाती हैं

संदर्भ

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक मिशन द्वारा कक्षा में भेजे गए लोबिया के बीजों के एक समूह में हाल ही में पहली पत्तियां निकली हैं।

लोबिया बीज अंकुरण के बारे में -

- **फसल पेलोड**: पादप अध्ययन के लिए कॉम्पैक्ट अनुसंधान मॉड्यूल
    - **विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी)** द्वारा विकसित।
    - बाह्य अंतरिक्ष कृषि अनुसंधान के एक भाग के रूप में सूक्ष्मगुरुत्व में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
    - बीजों को अंकुरित करने और उन्हें दो पत्ती अवस्था तक बनाए रखने के लिए पूर्णतः स्वचालित प्रणाली।
- 8 लोबिया के बीजों को सक्रिय थर्मल रेगुलेशन के साथ एक बंद बक्से वाले वातावरण में रखा गया था।
- **काऊपी(Cowpea) एक फलीदार फसल है जिसमें लंबी लताएं होती हैं। इसे स्थानीय रूप से लोबिया कहा जाता है।**
- 4 दिनों के भीतर बीज अंकुरित हो गए और 3 अंकुरों में पत्तियां निकल आईं।
- यह अंतरिक्ष कृषि में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है, जो भविष्य में अलौकिक खेती का मार्ग प्रशस्त करता है।

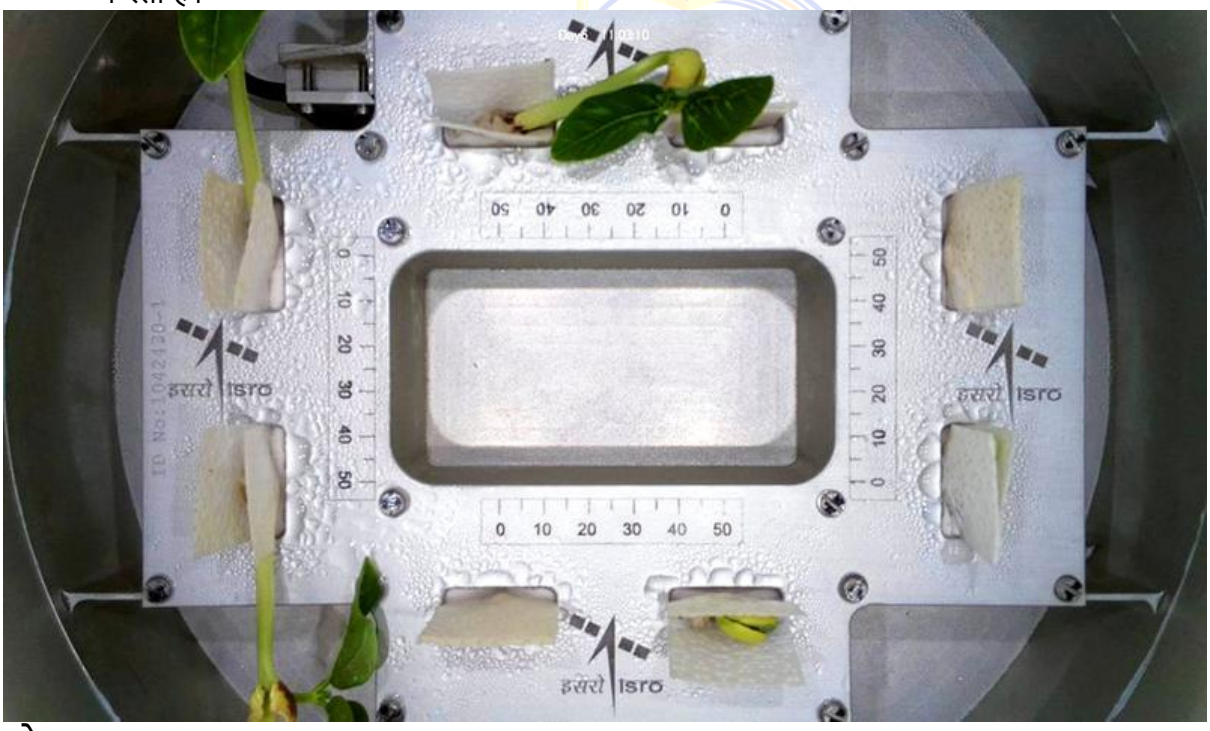

स्रोत:

- [The Hindu - Leaves flutter in space]
- [Indian Express - ISRO Coe pea seeds]

ट्विगस्टेट्स(Twigstats)

संदर्भ

व्यक्तिगत स्तर की वंशावली का पता लगाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग द्वारा "ट्विगस्टैट्स" नामक एक अत्याधुनिक उपकरण विकसित किया गया है।

ट्विगस्टेट्स के बारे में -

- **ट्विगस्टैट्स आबादी के आनुवंशिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक नई विधि है।**
- इससे वैज्ञानिकों को प्राचीन लोगों की वंशावली का पता लगाने तथा यह समझने में मदद मिलती है कि वे किस प्रकार अन्य समूहों के साथ घूमते-फिरते तथा घुल-मिल जाते थे।
- यह प्राचीन और मध्यकालीन जनसंख्या गतिशीलता की हमारी समझ को परिष्कृत करने के लिए आनुवंशिक डेटा, पुरातात्विक निष्कर्षों और ऐतिहासिक संदर्भ को जोड़ता है।
- प्रवासन पैटर्न का अध्ययन करने के लिए यूरोप, विशेषकर वाइकिंग युग के प्राचीन डीएनए नमूनों पर इसका परीक्षण किया गया है।

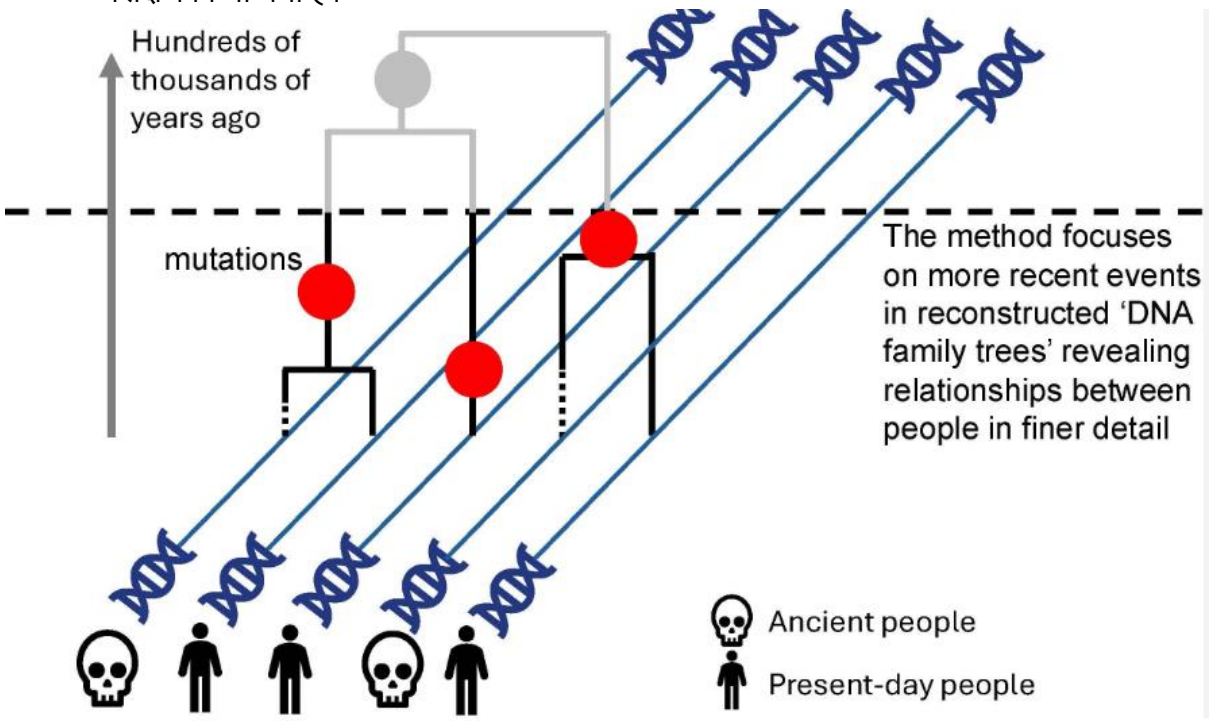

आनुवंशिक वंशावली अध्ययन में चुनौतियाँ

- **विभिन्न जनसंख्याओं में समानता:** भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्याएं अक्सर सांख्यिकीय रूप से समान दिखाई देती हैं, जिससे वंशावली का पता लगाना कठिन हो जाता है।
- **प्राचीन डीएनए (aDNA) की सीमाएं - नमूने का आकार**: मध्यकालीन या आधुनिक जीनोम की तुलना में प्राचीन नमूने कम हैं और उनकी अनुक्रमण गुणवत्ता भी कम है।
- **पारंपरिक विधियाँ**: **एसएनपी विश्लेषण (एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता)**:
  - प्रभावी लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले डीएनए नमूनों तक सीमित।
  - निकट से संबंधित आबादी के इतिहास को सुलझाने के लिए संघर्ष।

ट्विगस्टेट्स के नवाचार/लाभ

- **उन्नत तकनीकें:**
  - इसमें एसएनपी के साथ-साथ हैप्लोटाइप्स (साझा डीएनए खंड) और दुर्लभ वेरिएंट का उपयोग किया जाता है।
  - वंशावली, जनसंख्या संरचना और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए वंशावली वृक्ष अनुमान को शामिल किया गया है।
- **कम हुई त्रुटियाँ:**
  - ट्विगस्टेट्स त्रुटियों को कम करके और मौजूदा तरीकों की सांख्यिकीय शक्ति को बढ़ाकर आनुवंशिक अध्ययनों की सटीकता में सुधार करता है।
  - इस पद्धति से प्राचीन डीएनए नमूनों के बड़े सेट का विश्लेषण किया जा सकता है तथा जनसंख्या की गतिशीलता और वंशावली के विस्तृत मानचित्र तैयार किए जा सकते हैं।

स्रोत:

- **The Hindu - Twigstats: new tool**

सिंधु घाटी लिपि को समझने पर 1 मिलियन डॉलर का पुरस्कार

संदर्भ

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने वाले को 1 मिलियन डॉलर का पुरस्कार देने की घोषणा की है।

सिंधु घाटी लिपि के बारे में -

- यह सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा निर्मित प्रतीकों का एक संग्रह है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है। **इसे हड़प्पा लिपि के नाम से भी जाना जाता है।**
- **लिपि: बौस्ट्रोफेडॉन,** इसमें एक पंक्ति में दाएं से बाएं और फिर अगली पंक्ति में बाएं से दाएं लिखा जाता है।
- **समय अवधि:** इसका प्रयोग लगभग 2,500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1,900 ईसा पूर्व तक किया गया था।
- **भाषा:** यह अज्ञात है, तथा इसे समझने में सहायता करने के लिए कोई द्विभाषी अभिलेख भी उपलब्ध नहीं है।
- यह लिपि अनेक वस्तुओं पर पाई गई है, जिनमें मिट्टी के बर्तन, मुहरें, कांस्य और तांबे की मेजें, कांस्य के औजार, हड्डियां और मिट्टी की पट्टियां शामिल हैं।
- **प्रतीक:** लगभग 400 प्रतीक ज्ञात हैं।

(Clockwise from the top left) The Pashupati seal of Mohenjodaro; a seal bearing the very common unicorn motif; the mould of a seal showing a man fighting two tigers; the mould of a seal showing an elephant in movement. All the seals have symbols from the Indus script inscribed on top. *Wikimedia Commons*

सिंधु घाटी सभ्यता

- **कालक्रम:** 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी।
- यह आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में 800,000 वर्ग किमी तक फैली हुई थी।
- **इसकी खोज 1924 में जॉन मार्शल ने की थी।**
- **प्रमुख स्थल: हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी (भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल), कालीबंगा आदि।**

सिंधु लिपि को समझने में प्रमुख चुनौतियाँ

- **बहुभाषी शिलालेखों का अभाव**
  - बहुभाषी शिलालेख पठन के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे ज्ञात लिपियों के साथ तुलना करने में सक्षम बनाते हैं।

  - मेसोपोटामिया के साथ मजबूत व्यापारिक संबंधों के बावजूद, मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म लिपि के विपरीत, सिंधु घाटी से कोई बहुभाषी शिलालेख नहीं मिला है।
- **अज्ञात लिपि और भाषा**
  - **एंड्रयू रॉबिन्सन** के अनुसार, न पढ़ी जा सकने वाली लिपि तीन श्रेणियों में आती हैं:
    1. अज्ञात लिपि में किसी ज्ञात भाषा का लेखन।
    2. किसी अज्ञात भाषा में ज्ञात लिपि का लेखन।
    3. अज्ञात लिपि, अज्ञात भाषा लेखन (सबसे चुनौतीपूर्ण)।
  - **सिंधु लिपि तीसरी श्रेणी में आती है, इसमें भाषा के बारे में कोई निश्चितता नहीं है, जिससे ध्वन्यात्मक व्याख्या कठिन हो जाती है।**
- **सीमित कलाकृतियाँ और प्रासंगिक साक्ष्य**
  - केवल 3,500 मुहरों की पहचान की जा सकी है, जिनमें से प्रत्येक में औसतन पाँच अक्षर हैं।
  - अपर्याप्त भौतिक साक्ष्य के कारण विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
  - कई सिंधु स्थल अभी भी अज्ञात या कम खोजे गए हैं, जिससे सभ्यता के संदर्भ में जानकारी सीमित हो गई है।
- **सभ्यता का सीमित ज्ञान**
  - सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रणालियों के बारे में बहुत कम जानकारी है।
  - पशुपति मुहर और गेंडा आकृति वाली मुहरें जैसी कलाकृतियाँ सुराग तो देती हैं, लेकिन सबूत अपर्याप्त हैं।
- **पुरातात्विक अंतराल**
  - कई स्थल अभी भी दबे हुए हैं या उनकी जांच नहीं हुई है।
  - आगे के अनुसंधान के लिए भौतिक साक्ष्य उजागर करने हेतु अधिक पुरातात्विक प्रयासों की आवश्यकता है।

स्रोत:

- **Indian Express - $1 million prize**

UGC ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश संशोधित किए

संदर्भ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने UGC (विश्वविद्यालयों आदि में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यताएं) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया है।

प्रमुख परिवर्तन और प्रावधान -

- **कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया:**
  - **स्पष्ट प्रक्रिया:**
    - एक खोज-सह-चयन समिति कुलपतियों (वी-सी) की नियुक्ति करेगी।
    - चांसलर /विजिटर (कई राज्यों में राज्यपाल) इस तीन सदस्यीय समिति का गठन करेंगे।
  - **समिति संरचना**:
    - **अध्यक्ष**: चांसलर /विजिटर द्वारा नामित व्यक्ति।
    - **सदस्य**: UGC अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति तथा विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संस्था (सिंडिकेट, सीनेट, कार्यकारी परिषद, आदि) का एक प्रतिनिधि।
  - **नियुक्ति मानदंड:** वीसी उम्मीदवारों के पास उच्च शैक्षणिक योग्यता और नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए।
  - **कौन पात्र है?**
    - उच्च शिक्षा संस्थानों में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर।
    - उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक नीति, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में वरिष्ठ स्तर पर महत्वपूर्ण विद्वानों के योगदान का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति।
  - **उम्मीदवारों का विस्तृत पूल:** उद्योग विशेषज्ञों और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुभवी लोगों के लिए वी.सी. पदों के अवसर खुले हैं।
- **संकाय नियुक्तियों में लचीलापन:**
  - **नेट/सेट लचीलापन:** नेट/सेट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी अपनी स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री के अलावा अन्य विषय भी पढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि यह उनकी पीएच.डी. विशेषज्ञता के साथ संरेखित हो।
- **अकादमिक प्रदर्शन संकेतकों (API) का उन्मूलन:** 2018 के नियमों में लाई गई API प्रणाली, जो जर्नल प्रकाशनों जैसे मात्रात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर थी, को हटा दिया गया है। इसे नौ श्रेणियों में "उल्लेखनीय योगदान" के समग्र मूल्यांकन के साथ बदल दिया गया है।
- **अनुबंध शिक्षक नियुक्तियाँ:** 2018 में अनुबंध आधारित संकाय नियुक्तियों पर निर्धारित 10% की सीमा को हटा दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

- **UGC की स्थापना उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा UGC अधिनियम 1956 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।**
- **कार्य:**
  - भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करना।
  - यह भारत के विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है तथा मान्यताप्राप्त संस्थानों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय योगदान देता है।

स्रोत: The Hindu - UGC revises guidelines for appointment of V-Cs
Indian Express - UGC eases hiring contract teachers

समाचार संक्षेप में

गंगासागर मेला

- हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने गंगासागर मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग की।
- **यह एक हिंदू त्योहार और तीर्थयात्रा है जो प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर होता है।**
- **स्थान**: पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप।
    - यह गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा का सबसे पश्चिमी द्वीप है। यह हुगली (हुगली) नदी के मुहाने पर स्थित है।
- **यह कुंभ के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसभा समारोह है।**
- रामायण और महाभारत में इसका अस्तित्व 400 ईसा पूर्व बताया गया है।
- तीर्थयात्री गंगा में डुबकी लगाने के बाद कपिल मुनि के मंदिर जाते हैं।

कपिल मुनि

- **वह एक वैदिक ऋषि थे। उन्हें भारतीय दर्शन की सांख्य प्रणाली का मूल प्रस्तावक माना जाता है। उन्होंने सांख्य-सूत्र भी लिखा।**
- वह लगभग 6वीं या 7वीं शताब्दी ई.पू. में रहते थे और उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है।
- कपिल मुनि भक्ति योग सिखाने के लिए जाने जाते हैं और उन्हें न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में भी मान्यता प्राप्त है।
- बौद्ध सूत्रों का कहना है कि कपिल एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिनके छात्रों ने कपिलवस्तु शहर का निर्माण किया था।

स्रोत:

- The Hindu - Mamata says Centre backs Kumbh Mela but not Gangasagar

भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर

- **केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) सोरेंग जिला, सिक्किम के तहत जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत में अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है।**
- यह जैविक खेती के अग्रणी के रूप में सिक्किम की स्थिति के अनुरूप है।
- यह प्रीमियम जैविक मछली उत्पादों के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक बाजारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- **भारत में मौजूदा क्लस्टर**:
    - **मोती क्लस्टर**: हजारीबाग, झारखंड।
    - **सजावटी मत्स्य पालन क्लस्टर**: मदुरै, तमिलनाडु।
    - **समुद्री शैवाल समूह**: लक्षद्वीप।
    - **टूना क्लस्टर**: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

स्रोत:

- PIB - India's First Organic Fisheries Cluster in Sikkim

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP)

- **NMEO-OP एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका विशेष ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर है।**
- **उद्देश्य:** भारत में पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देना।
    - **भारत विश्व में पाम तेल का सबसे बड़ा आयातक है।**

- **क्षेत्र विस्तार:** 2025-26 तक पाम ऑयल की खेती को 6.5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य, जिससे कुल क्षेत्रफल 10 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाएगा।
- **उत्पादन लक्ष्य:** कच्चे पाम तेल (सीपीओ) का उत्पादन 2025-26 तक 11.20 लाख टन और 2029-30 तक 28 लाख टन तक बढ़ाना।

स्रोत:

- **PIB - NMEO-OP**

संपादकीय सारांश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में हालिया घटनाक्रम

संदर्भ

हाल की रिपोर्टों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डाला गया है, विशेष रूप से न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया के संबंध में।

कॉलेजियम की प्रक्रिया में प्रमुख परिवर्तन -

- **न्यायिक उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार:** कॉलेजियम अब उच्च न्यायालयों में पदोन्नति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा।
- **चयन से रिश्तेदारों को बाहर करना:** कॉलेजियम का उद्देश्य उन उम्मीदवारों को बाहर करना है जिनके करीबी रिश्तेदार उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा कर चुके हैं या वर्तमान में सेवा कर रहे हैं।

तथ्य

- भारत में न्यायिक नियुक्तियों के लिए संवैधानिक प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में उल्लिखित हैं।

Evolution of the Collegium System

- **1950:** Initially, the President appointed the Chief Justice of India (CJI) and other Supreme Court judges after consulting the CJI.
- **Early Practice:** Senior-most Supreme Court justices were typically chosen as the next CJI, although notable exceptions, such as Justice AN Ray's appointment in 1973 led to conflicts.

JUDGEMENT

- **First Judges Case (1981)- S.P. Gupta vs. Union of India:** Defined "consultation" as not requiring the government's concurrence making CJI's advice non-binding.
- **Second Judges Case (1993)- Advocates-on-Record Association vs. Union of India:** Changed the interpretation to "concurrence" making the CJI's advice binding, with the advice formulated through a collegium of senior judges.
- **Third Judges Case (1998):** Established the collegium structure for SC and HCs
  - Supreme Court: CJI and 4 senior-most judges
  - High Court: CJI and 2 senior-most judges with consultation from other senior Supreme Court judges experienced in the High Court.
- **Fourth Judges Case (2015)- Supreme Court Advocates on Record Association Case:** Declared NJAC unconstitutional emphasising the judiciary's primacy in appointments.
  - The 99th Constitutional Amendment aimed to replace the Collegium with the NJAC including the Union Law Minister, eminent individuals, the CJI and two senior Supreme Court judges.

कॉलेजियम प्रणाली की चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **पारदर्शिता का अभाव:** कॉलेजियम बिना किसी औपचारिक नियमों या संरचित दिशा-निर्देशों के काम करता है, जिसके परिणामस्वरूप तदर्थ और असंगत प्रक्रियाएं होती हैं।
  - उम्मीदवार के चयन या अस्वीकृति सहित निर्णयों को शायद ही कभी स्पष्ट किया जाता है, जिससे जवाबदेही की कमी होती है।
- **सरकारी हस्तक्षेप**

- **सिफारिशों में बाधा डालना:** सरकार प्रायः अनुमोदन या राष्ट्रपति के वारंट को रोककर कॉलेजियम प्रस्तावों में देरी करती है या उनका विरोध करती है, जिससे न्यायिक स्वायत्तता कमजोर होती है।
- **मनमानी अस्वीकृतियाँ**: स्पष्ट कारण बताए बिना सिफ़ारिशों को वापस किया जा सकता है या रोका जा सकता है**,** जिससे नियुक्तियों पर कार्यकारी के प्रभाव के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

- **बाध्यकारी नियमों का अभाव**
  - **अप्रवर्तनीय प्रक्रियाएं:** यद्यपि "प्रक्रिया ज्ञापन" विद्यमान है, परंतु इसके प्रावधानों के उल्लंघन का कोई कानूनी या प्रक्रियात्मक परिणाम नहीं होता।
  - **सुधारों में अनिश्चितता:** साक्षात्कार और बहिष्करण नीतियों जैसे परिवर्तनों में औपचारिक संहिताकरण का अभाव है, जिससे उनका जारी रहना भविष्य के मुख्य न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर है।

कॉलेजियम प्रणाली सुधारों के लिए आगे की राह

- **नियमों और प्रक्रियाओं का औपचारिकीकरण:** चयन, साक्षात्कार और बहिष्करण नीतियों के मानदंडों सहित कॉलेजियम की प्रक्रियाओं को संशोधित "प्रक्रिया ज्ञापन" जैसे बाध्यकारी ढांचे में संहिताबद्ध करना।
  - सुनिश्चित करना कि इन नियमों के उल्लंघन के परिणाम लागू किए जाएं ताकि जवाबदेही बनी रहे।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना:** जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए चयन, अस्वीकृति और स्थानांतरण सहित सभी कॉलेजियम निर्णयों के विस्तृत कारण प्रकाशित करना।
  - न्यायिक नियुक्तियों की नियमित कार्यनिष्पादन समीक्षा और सहकर्मी मूल्यांकन के लिए एक तंत्र लागू करना ।
- **कार्यपालिका के हस्तक्षेप को न्यूनतम करना:** विलम्ब और मनमाने ढंग से अस्वीकृति को रोकने के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया के लिए समयबद्ध समय-सीमा निर्धारित करना।
  - न्यायाधीशों के मामलों में रेखांकित सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करके न्यायिक निगरानी को मजबूत बनाना।
- **विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना:** न्यायिक नियुक्तियों में महिलाओं, हाशिए पर पड़े समुदायों और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई या दिशानिर्देश लागू करना।
  - भाई-भतीजावाद और पक्षपात की चिंताओं को दूर करते हुए योग्यता आधारित चयन को प्रोत्साहित करना।

स्रोत: **The Hindu: The Collegium and changes — it may still be early days**

भारत में डिजिटल गवर्नेंस और क्षमता निर्माण

संदर्भ

- डिजिटल गवर्नेंस की ओर भारत की यात्रा, नागरिक सेवाओं को बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों से चिह्नित है।
- यह परिवर्तन सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और कार्यबल के कौशल के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर जोर देता है।

डिजिटल गवर्नेंस में क्षमता निर्माण

- **क्षमता निर्माण का महत्व:** डिजिटल गवर्नेंस सरकारी कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं की भूमिका निभाने के तरीके में एक मौलिक बदलाव का प्रतीक है।
    - प्रौद्योगिकी का एकीकरण बेहतर संचार, सूचित निर्णय लेने और सुव्यवस्थित कार्यप्रवाह की सुविधा प्रदान करता है।
    - जैसे-जैसे जनता की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में दक्षता विकसित करनी होगी।
- **महत्वपूर्ण पहल**
    - **iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म (2020)**: डेटा एनालिटिक्स, लोक प्रशासन और डिजिटल टूल्स में कौशल विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल।
        - निरंतर सुधार के लिए व्यक्तिगत शिक्षण पथ प्रदान करता है।
    - **ई-ऑफिस पहल**: कार्यप्रवाह को डिजिटल बनाती है, कागजी कार्रवाई को कम करती है और दक्षता बढ़ाती है।
        - वास्तविक समय संचार और पारदर्शिता के लिए फ़ाइल प्रबंधन, कार्यप्रवाह और शिकायत निवारण को स्वचालित करता है।
    - **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)**: डिजिटल खरीद मंच जो सुव्यवस्थित, पारदर्शी प्रक्रियाओं को सक्षम बनाता है।
- **प्रशिक्षण के फोकस क्षेत्र:**
    - ई-गवर्नेंस उपकरण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल संचार से परिचित होना।
    - सरकारी कर्मचारियों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के प्रयास।

डिजिटल गवर्नेंस में चुनौतियाँ

- **परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध:** कुछ कर्मचारी नौकरशाही ढांचे की जड़ता या तैयारी की कमी के कारण नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने का विरोध करते हैं।
    - कम डिजिटल क्षमता वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण और सहायता की आवश्यकता होती है।
- **प्रोत्साहनों का अभाव:** iGOT कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म के परिणाम-केंद्रित होने के बजाय उपस्थिति-आधारित होने का खतरा है।
    - सफलता को कर्मचारियों की नौकरी में नए कौशल लागू करने की क्षमता को प्रतिबिंबित करना चाहिए, न कि केवल भागीदारी की संख्या को।
- **डिजिटल डिवाइड:** ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों तक सीमित पहुंच असमानता पैदा करती है।
    - कर्मचारियों और नागरिकों को डिजिटल गवर्नेंस के लाभों से वंचित करने का जोखिम।
- **साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** ऑनलाइन परिचालन में वृद्धि से डेटा उल्लंघन और साइबर हमलों का जोखिम बढ़ जाता है।

    - संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल में प्रशिक्षण आवश्यक है।
- **निरंतर सीखने की आवश्यकता:** डिजिटल उपकरणों में तेजी से प्रगति के लिए निरंतर कौशल उन्नयन के अवसरों की आवश्यकता होती है।
    - क्षमता निर्माण कार्यक्रम गतिशील और अनुकूलनीय बने रहना चाहिए।

आगे की राह

- **मजबूत बुनियादी ढांचा:** इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल उपकरणों तक पहुंच में सुधार करने के लिए निवेश करना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- **लक्षित और परिणाम-आधारित प्रशिक्षण**: सुनिश्चित करना कि आईजीओटी कर्मयोगी जैसे कार्यक्रम प्रशिक्षण को मापने योग्य नौकरी परिणामों के साथ जोड़कर व्यावहारिक मूल्य प्रदान करें।
- **कौशल विकास को प्रोत्साहित करना:** उन कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करें जो अपनी भूमिकाओं में डिजिटल कौशल को लागू करने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।
- **साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना:** साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल को नियमित रूप से अद्यतन करें और उभरते खतरों से सुरक्षा के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
- **गतिशील क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** प्रशिक्षण मॉड्यूल को नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ अद्यतन रखना।

स्रोत: **The Hindu: Enhancing governance the digital way**

विस्तृत कवरेज

जाति आधारित जनगणना

संदर्भ

भारत की जाति व्यवस्था अकादमिक और ऐतिहासिक अध्ययन का केंद्र बिंदु रही है, जो समाज और विभिन्न समुदायों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर इसके गहरे प्रभाव को प्रकट करती है।

जाति जनगणना के बारे में -

- **भारत में जाति आधारित जनगणना एक जनगणना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की जाति के बारे में डेटा एकत्र किया जाता है। इस डेटा का उपयोग विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने और असमानताओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए किया जा सकता है।**
- पहली जाति आधारित जनगणना 1881 में अंग्रेजों द्वारा करायी गयी थी।
- **भारत सरकार ने 1931 के बाद से अपनी जनगणना में जाति संबंधी आंकड़े एकत्र नहीं किये हैं।**
- 1947 में स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने 1951 की जनगणना में जाति डेटा एकत्र करना बंद करने का निर्णय लिया।
- भारत 1951 में देश की आजादी के बाद से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) पर अलग-अलग डेटा प्रकाशित करता है, अन्य जातियों के डेटा को जनगणना में शामिल नहीं किया गया है।

जाति आधारित जनगणना का महत्व

- व्यापक जातिगत आंकड़ों की कमी ने जाति-आधारित असमानताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है।
- मौजूदा प्रशासनिक श्रेणियां - अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) - अक्सर विविध समूहों का सामान्यीकरण करती हैं, जो सामाजिक-आर्थिक असमानताओं की जटिलताओं को छुपाती हैं।
- **जाति आधारित जनगणना निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:**
    - **सटीक पहचान:** इससे उन ओबीसी की पहचान करने में मदद मिलती है जिनके पास सकारात्मक कार्रवाई नीतियों में शामिल करने के लिए सत्यापन योग्य डेटा का अभाव है।
    - **नीति सुधार:** जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 27% आरक्षण सीमा का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग का समर्थन करता है।
    - **समतामूलक संसाधन आवंटन:** समुदाय के भीतर असमानताओं को उजागर करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।

क्या आप जानतें है?

अनुच्छेद 340, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और सरकारों को उनके उत्थान के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का आदेश देता है।

वर्तमान परिदृश्य

- **सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ**: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एसटी, एससी और ओबीसी परिवारों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) सामान्य श्रेणी की तुलना में काफी कम है।

  - वर्ष 2011-12 में, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लिए औसत एमपीसीई सामान्य श्रेणी की तुलना में काफी कम थी (क्रमशः 65%, 73% और 84%)।
  - इसी अवधि में शहरी क्षेत्रों में, एसटी, एससी और ओबीसी परिवारों के लिए औसत एमपीसीई भी सामान्य श्रेणी (क्रमशः 68%, 63% और 70%) की तुलना में कम थी।
- **बहुआयामी गरीबी**: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग की तुलना में बहुआयामी गरीबी की उच्च दर का अनुभव करते हैं।
  - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4/2015-16) के बहुआयामी गरीबी अनुमानों से पता चलता है कि अन्य (14.9%) की तुलना में एसटी (44.4%), एससी (29.2%), और ओबीसी (24.5%) के बीच गरीबी का अनुपात अधिक है।
  - ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) के अनुमान एक समान पैटर्न दर्शाते हैं, जिसमें एसटी (50.6%), एससी (33.3%), और ओबीसी (27.2%) में अन्य (15.6%) की तुलना में गरीबी का अनुपात अधिक है।
  - हिंदुओं (28%), ईसाइयों (16%) और अन्य धार्मिक समुदायों (15.7%) की तुलना में मुसलमानों को अधिक बहुआयामी गरीबी (31%) का सामना करना पड़ता है।
- **शिक्षा और रोजगार:** एनएसएस और पीएलएफएस के आंकड़ों से शिक्षा के स्तर और रोजगार की स्थिति में महत्वपूर्ण असमानताएं सामने आती हैं। सामान्य वर्ग में स्नातक और स्नातकोत्तर के साथ-साथ औपचारिक रोजगार का अनुपात अधिक है, जबकि एसटी, एससी और ओबीसी में आकस्मिक श्रम का प्रचलन अधिक है।

Education & Employment Indicators by Social Group

The table shows the Percentage distribution of persons by general education level, workers in usual status by broad status in employment, and employees in posts and services of the Central government

	ST	SC	OBC	GEN Source	Data
Percentage distribution of persons of age 7 years and above by general education level					
Literacy rate	69.6	72.4	76.9	85.9	Household Social Consumption on Education in India, NSS 75th Round (July 2017 - June 2018), NSO, MoSPI, GoI
Secondary Education	9.9	11.5	13.5	15.8	
Higher Secondary Education	6	7.7	9.4	12.8	
Graduate	3.3	4.1	5.9	12.3	
Post Graduate and above	0.7	0.9	1.2	3.4	
Percentage distribution of workers in usual status (ps+ss) by broad status in employment					
Regular wage/ Salaried	12.3	19.8	20.1	30.6	Periodic Labour Force Survey 2021-22, NSSO, MoSPI, GoI
Casual Labour	28.9	38.2	20	11.2	
Self-employed	58.8	42.1	59.9	58.2	
Percentage distribution of employees in posts and services of the Central Government					
Group A	5.9	13.0	16.6	64.6	Annual Report 2021-22, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, GoI
Group B	7.1	16.8	16.7	59.5	
Group C	7.8	17.7	22.8	51.7	
Total	7.7	17.5	22.1	52.7	

- **सरकारी रोजगार:** केंद्र सरकार, जो कि औपचारिक क्षेत्र में एक प्रमुख नियोक्ता है, उसके कार्यबल में असमानताएं हैं, तथा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व अनुपातहीन है।
  - जनवरी 2021 तक केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार:
    - केन्द्र सरकार ने 18.78 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया।
    - इन कर्मचारियों में से 52.7% सामान्य श्रेणी के थे।
    - सर्वाधिक योग्य और उच्चतम वेतन पाने वाले समूह (ग्रुप-A कर्मचारी) में 64% से अधिक कर्मचारी सामान्य श्रेणी से थे।

विपक्ष में तर्क

- **मौजूदा सर्वेक्षण पर्याप्त हैं**: विरोधियों का तर्क है कि भारत की सामाजिक संरचना के उचित अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) और राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) जैसे विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों के माध्यम से पहले से ही उपलब्ध हैं।
- **परिचालन संबंधी चुनौतियाँ**: विभिन्न जातियों (उप-जातियों) का विस्तृत विवरण सहित सम्पूर्ण जाति जनगणना आयोजित करना परिचालन संबंधी चुनौतियों को जन्म देगा , क्योंकि देश में सभी जातियों की कोई आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं है।
    - इससे जनगणना के बाद व्यापक वर्गीकरण कार्य की आवश्यकता होगी, जिससे सामान्य जाति तालिकाओं के जारी होने में संभावित देरी हो सकती है।
- **पहचान की राजनीति और सामाजिक अशांति**: इस बात को लेकर चिंता जताई गई है कि इस प्रकार की जनगणना से पहचान की राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है, जो संभवतः स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विकासात्मक मुद्दों पर हावी हो सकती है।
    - उच्च कोटा की मांग बढ़ने तथा आरक्षण पर वर्तमान 50% सीमा को हटाए जाने का भी भय है।
- **आरक्षण कोटे की चिंताएं**: कुछ लोग देशव्यापी जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या हिस्सेदारी का खुलासा होने से, जो मंडल आयोग द्वारा अनुमानित 52% से अधिक हो सकती है, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग हो सकती है।

पक्ष में तर्क

- **अधिक सटीक आंकड़े**: जाति जनगणना के समर्थकों का तर्क है कि एनएफएचएस और एनएसएसओ जैसे सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े अनुमान हैं, जबकि जनगणना में देश के प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक गणना शामिल होती है।
    - इसके अलावा, जनगणना प्रत्येक प्रगणित समूह के लिए शैक्षिक स्तर, व्यवसाय, घरेलू संपत्ति और जीवन प्रत्याशा सहित विभिन्न पहलुओं पर डेटा उत्पन्न करती है।
- **बेहतर नीति निर्माण**: जाति जनगणना से विभिन्न जाति समूहों की जनसंख्या, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनकी आवश्यकताओं के बारे में सटीक और अद्यतन आंकड़े उपलब्ध होंगे, जिससे सकारात्मक कार्रवाई और पुनर्वितरणात्मक न्याय के लिए नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी।
    - इंद्रा साहनी फैसले में समर्थन मिलता है, जिसमें विशेषाधिकार प्राप्त जातियों की पहचान करने के लिए हर दशक में ऐसे साक्ष्य एकत्र करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था और यह सुनिश्चित किया गया था कि वे आरक्षण का अनुपातहीन लाभ न उठा पाएं।
- **सामाजिक अशांति को संबोधित करना**: हाल के वर्षों में जाट, पटेल और मराठा जैसे समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर महत्वपूर्ण लामबंदी देखी गई है, और कुछ मामलों में ये विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो गए हैं।
    - ओबीसी, एससी या एसटी समूहों की तुलना में इन समूहों के आकार और सापेक्षिक अभाव के स्तर के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्य का अभाव एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जो सटीक जाति-आधारित आंकड़ों के महत्व को और अधिक रेखांकित करता है।
- **आरक्षण की कानूनी वैधता**: हाल के कानूनी घटनाक्रमों, जैसे कि 103वें संशोधन अधिनियम और 50% सीमा से आगे आरक्षण कोटा को वैध बनाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने ओबीसी आरक्षण के विस्तार की स्वाभाविक मांग को जन्म दिया है, क्योंकि 27% का आंकड़ा जनसंख्या अनुमानों पर आधारित नहीं था।
- **परिशुद्धता और निष्पक्षता:** ओबीसी श्रेणी के भीतर अलग-अलग जातियों की सटीक संख्या और अनुपात का पता लगाने के लिए पूर्ण जाति गणना ही एकमात्र तरीका है, जो आरक्षण और लाभों के निष्पक्ष वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

आगे की राह

- **मौजूदा आंकड़ों का लाभ उठाना:** वर्तमान जाति आंकड़ों की उपयोगिता का मूल्यांकन एक अकादमिक प्रयास है जो सामाजिक असमानताओं का मानचित्रण करने और सामाजिक बदलावों की निगरानी पर केंद्रित है।
- **डेटा एकीकरण:** जनगणना डेटा की उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए, इसे अन्य व्यापक डेटासेट, जैसे कि NSSO (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय) या NFHS (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) के साथ एकीकृत और सिंक्रनाइज़ करना महत्वपूर्ण है। ये डेटासेट उन क्षेत्रों को कवर करते हैं जो जनगणना में शामिल नहीं हैं, जैसे कि मातृ स्वास्थ्य, जिससे विश्लेषण का दायरा बढ़ जाता है।
- **स्थानीयकृत डेटा संग्रहण:** जाति और उपजाति के आंकड़े एकत्र करने के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर स्वतंत्र अध्ययन किए जाने चाहिए, जिससे स्थानीय जनसांख्यिकी की व्यापक समझ सुनिश्चित हो सके।
- **SECC से सीख:** पिछली सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) की गहन समीक्षा करना आवश्यक है। पिछले अनुभवों से मूल्यवान सबक निकालना और आवश्यक सुधारों की पहचान करना अधिक प्रभावी जनगणना के लिए महत्वपूर्ण है।
- **नीति कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना:** एक व्यापक जाति जनगणना भारत के सामाजिक ताने-बाने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है, जो विभिन्न जाति समूहों के बीच परस्पर क्रिया और राष्ट्र की विविधता में उनके योगदान पर प्रकाश डालती है। जनगणना को राज्य सहायता लाभार्थियों के लिए केवल बहिष्करण मानदंडों को संशोधित करने से आगे बढ़ना चाहिए। इसे नीति कार्यान्वयन को बढ़ाने और अकादमिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करना चाहिए।
- **राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना का संचालन करना**: ओबीसी जनसंख्या अनुमानों में 41% से 46% तक के महत्वपूर्ण विचलन को देखते हुए, सटीक डेटा प्रदान करने के लिए एक व्यापक जाति जनगणना आवश्यक है।
- **प्रमुख जाति समूहों के बारे में चिंताओं का समाधान**: ओबीसी श्रेणी के भीतर अलग-अलग जातियों की संख्या और अनुपात को समझने से आरक्षण और लाभों के कुछ प्रमुख जाति समूहों तक ही सीमित हो जाने के बारे में चिंताओं का समाधान करने में मदद मिलेगी।

स्रोत: **The Hindu: Analysing the 2023 caste-based Census of Bihar**